154

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3446—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—09—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, अम्बाह, जिला—मुरैना के प्रकरण क्रमांक 35/2013—14/अ/6/ निगरानी

.....

1— रामप्रकाश सिंह
2— शिव सिंह
पुत्रगण श्री लोकमान सिंह,
निवासीगण— ग्राम नरवती, तहसील—नावली,
तहसील अम्बाह, जिला—मुरैना(म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— रूपादेवी पत्नी बाबूसिंह
2— दरोगा सिंह पुत्र भंवर सिंह
3— परीक्षत सिंह पुत्र लोचन सिंह
4— सोवरन सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
निवासीगण— ग्राम नरवती मौजा नावली,
जिला—मुरैना, (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री श्री कृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16-1-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार, अम्बाह, जिला—मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—09—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नरवती मौजा नावली तह0 अम्बाह, जिला—मुरैना में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे क्र0 1036 रकबा 0.523 आरे पर आवेदक के

पिता लोकमन सिंह सम्वत 2007 से आधिपत्य कृषिक के रूप में पटवारी कागजात में अंकित होकर आधिपत्यधारी कृषिक होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। आवेदक लोकमन सिंह की मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर उसके वारिस आवेदकगण आधिपत्य कृषिक होकर खेती कर रहे है। आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व पर नामांतरण किये जाने हेतु तहसील अम्बाह में आवेदन प्रस्तुत किया जो प्र0क्र0 01/95–96/अ–46 पर पंजीबद्ध किया जाकर विचाराधीन है। इसी दौरान विचाराधीन प्रकरण में चौबसिंह द्वारा अनावेदक के हक में विक्रय पत्र सम्पादित कर दिया । उक्त फर्जी व नुमायसी विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदकगण ने नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति करने के कारण प्रकरण विवादित होने से तहसीलदार, अम्बाह के प्र0क्र0 35/2013–14/अ/6 पर पंजीबद्ध किया गया । आवेदकगण द्वारा दिनांक 25.09.2014 को एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण में आपत्ति समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि प्रकरण में आपत्ति के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण कर पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र को अवैध आधार व मनमाने आधार पर कानून के विपरीत साक्ष्य की आवश्यकता न मान्य कर निरस्त कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि प्रकरण में आवेदकगण द्वारा स्पष्ट आपत्ति की है कि विवादित भूमि से आवेदक के पिता सम्वत 2007 से पटवारी कागजात में आधिपत्य कृषिक अंकित चले आ रहे है। उनकी मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि पर आवेदकगण आधिपत्य कृषिक होकर कास्त करते चले आ रहै। जबकि नुमायसी विक्रय पत्र में कब्जा दिये जाने का उल्लेख है। विवादित भूमि पर कब्जे के विवादित का निराकरण साक्ष्य द्वारा ही किया जा सकता है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया। विवादित भूमि पर आवेदकगण के पिता वतत्पश्चात आवेदकगण सम्वत 2007 म0प्र0भू0रा0 संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से आधिपत्य कृषिक होने से म0प्र0भू0रा0 संहिता के प्रभावशील होने के पश्चात स्वतः ही कानूनन भूमिस्वामी के अधिकार आवेदकगण के पिता व आवेदकगण को प्राप्त हो जाते है । नुमायसी भूमिस्वामी द्वारा किये गये विक्रय पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अभिलेख के विपरीत होने से

निरस्तीय योग्य है। अतः आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर निगरानी स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया। आवेदकगण/आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत म0प्र0भू0रा0 संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निवेदन किया गया । प्रकरण में दावा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण चाहा गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेज होने से साक्ष्य की आवश्यकता न होने से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया और आवेदन पत्र अस्वीकार किया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसीलदार, अम्बाह ने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 को अस्वीकार करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की है। क्योंकि किसी भी प्रकरण के निराकरण हेतु साक्ष्य की आवश्यकात तब होती है जब प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी प्रतीत होते है। इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। प्रकरण में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वह प्रमाणित दस्तावेज है। प्रकरण में प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध है तो फिर किसी अन्य की साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं है। इसी कारणवश तहसीलदार, अम्बाह ने आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र को अस्वीकार किया । मैं तहसीलदार, अम्बाह के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ । फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है, एवं तहसीलदार, अम्बाह के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–09–2014 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर